संख्या-961/78-1-2026-45/2026

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त,2026

विषयः उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2026 के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-763/78-1-2026-45/2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

2- उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2026 के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्राविधानित किये गये हैं। इन प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया का निम्नवत् निर्धारण किया जाता है:-

1. **सामान्य नियम और शर्तें:-**

1.1 इनक्यूबेटर को मेजबान संस्था से पृथक एक स्वतंत्र विधिक इकाई के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत निगमित एवं उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

1.2 इनक्यूबेटर को अनुदान प्राप्ति एवं व्यय संबंधी सभी वित्तीय लेन-देन अपनी पंजीकृत इकाई के नाम से संचालित पृथक एवं समर्पित बैंक खाते के माध्यम से करने होंगे।

1.3 नीति के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी प्रोत्साहन/अनुदान हेतु आवेदन स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

1.4 परिचालन अनुदान (OPEX Grant) की प्रत्येक आगामी किस्त पर विचार तभी किया जाएगा जब पूर्व में प्राप्त अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) (अनुलग्नक 3) के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एवं UDIN युक्त अभिलेख प्रस्तुत किए गए हों।

1.5 इनक्यूबेटर को प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग केवल अनुमोदित गतिविधियों के

लिए करना होगा तथा उससे संबंधित समस्त अभिलेख, बिल, चालान, भुगतान साक्ष्य, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे।

1.6 इनक्यूबेटर को अनुदान स्वीकृति की तिथि से न्यूनतम पाँच (05) वर्षों तक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता सम्मिलित हो, सुरक्षित रखना होगा।

1.7 यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदन, दावा, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, स्टार्टअप डेटा अथवा अन्य अभिलेखों में तथ्यात्मक त्रुटि, मिथ्या सूचना या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई है, तो संबंधित प्रोत्साहन/अनुदान निरस्त किया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ब्याज सहित राशि की वसूली की जाएगी।

1.8 नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU), नोडल एजेंसी, पीएमयू अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी संस्था किसी भी समय भौतिक अथवा वर्चुअल निरीक्षण, सत्यापन अथवा ऑडिट कर सकेगी।

1.9 पूंजीगत अनुदान (Capital Grant) के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का, नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) की पूर्व स्वीकृति के बिना, न्यूनतम पाँच (05) वर्षों तक विक्रय, हस्तांतरण, पट्टे पर देना, भारित करना अथवा किसी अन्य प्रकार से निस्तारण नहीं किया जाएगा।

1.10. यदि सहायता अवधि के दौरान इनक्यूबेटर का संचालन बंद हो जाता है, उसका विलय अथवा विघटन हो जाता है, या स्वामित्व एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना 30 दिवस के भीतर नोडल एजेंसी को देना अनिवार्य होगा। ऐसे मामलों में PIU सहायता की निरंतरता पर पुनर्विचार कर सकेगी।

1.11 पूंजीगत अनुदान से संबंधित प्राप्त आवेदनों एवं अभिलेखों का परीक्षण नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकेगा।

1.12 सरकारी मेजबान संस्थाओं द्वारा संचालित इनक्यूबेटर सामान्यतः पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि, विशेष परिस्थितियों में सशक्त समिति (EC) की संस्तुति पर ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

1.13 उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व, पूर्ववर्ती स्टार्टअप नीतियों के अंतर्गत मान्यता एवं वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु अनुमोदित इनक्यूबेटर्स से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण संबंधित नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, ऐसी स्थिति में जहाँ पूर्ववर्ती नीति एवं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के प्रावधानों में विरोधाभास हो, वहां उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 तथा उसके अधीन जारी दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे।

1.14 नोडल एजेंसी, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के अंतर्गत वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता से संबंधित आवेदनों के परीक्षण एवं प्रसंस्करण हेतु अतिरिक्त सूचना, स्पष्टीकरण अथवा आवश्यक दस्तावेज मांग सकेगी।

1.15 मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटरों का प्रदर्शन मूल्यांकन एवं त्रैमासिक आकलन उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन द्वारा, इनक्यूबेटर के KPI/लक्ष्य अनुपालन, इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स की प्रगति तथा इनक्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत सहायक अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर किया जाएगा।

1.16 ऐसे इनक्यूबेटर, जो लगातार दो वर्षों की अवधि में निर्धारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) के न्यूनतम 70 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति अथवा प्राप्त अनुदान राशि के न्यूनतम 80 प्रतिशत उपयोग की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, उनके प्रकरणों में नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा सकेगी, जिसमें प्रोत्साहनों का स्थगन, कटौती, समायोजन, भविष्य की सहायता पर प्रतिबंध अथवा मान्यता का निरस्तीकरण सम्मिलित हो सकता है।

1.17 इनक्यूबेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निःशुल्क इनक्यूबेशन अवधि के दौरान इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स से किसी भी प्रकार की इक्विटी, शेयरहोल्डिंग, स्वामित्व

हित अथवा अन्य वित्तीय हित अर्जित नहीं किए जाएंगे। तथापि, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विशेष कार्यक्रम, दिशा-निर्देश अथवा प्रावधान के अंतर्गत होने पर स्वीकार्य होगी।

2. इनक्यूबेटर्स की मान्यता (Recognition of Incubators)

उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने तथा उच्च गुणवत्ता वाली इनक्यूबेशन सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पात्र संस्थाएं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के अंतर्गत इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगी।

यदि आवेदन अपूर्ण हो अथवा आवश्यक अभिलेख संलग्न न हों, तो आवेदक संस्था को निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त सूचना, स्पष्टीकरण अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकेगा। आवेदन का परीक्षण एवं पात्रता मानदंडों का सत्यापन किए जाने के उपरांत, नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा मान्यता प्रदान की जा सकेगी।

2.1 पात्रता (Eligibility)

इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु संस्थाओं को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 में उल्लिखित पात्रता शर्तें पूर्ण करनी होंगी -

- इनक्यूबेटर में संचालन एवं प्रबंधन हेतु उपयुक्त गवर्नेंस संरचना उपलब्ध होगी, जिसमें भूमिकाएं, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही तंत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे।
- स्टार्टअप्स के चयन, मूल्यांकन एवं ऑनबोर्डिंग के लिए पारदर्शी एवं संरचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने हेतु अनुभवी मेंटर्स, डोमेन विशेषज्ञों एवं उद्योग विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, विधिक, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) सहायता, जिसमें पेटेंट फाइलिंग, ट्रेडमार्क पंजीकरण एवं प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण संबंधी सहयोग शामिल है, प्रदान किया जाएगा।

2.2 आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

- नीति के अंतर्गत इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक पात्र संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेखों (अनुलग्नक-2) सहित अनुसार स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगी।
- आवेदन के साथ स्टार्टअप पोर्टल में निर्दिष्ट सभी सहायक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) लखनऊ से संबद्ध संस्थानों के आवेदन कुलपति, AKTU की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे। अन्य सभी संस्थानों के आवेदन सीधे नोडल एजेंसी द्वारा परीक्षण किए जाएंगे।

2.3 मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रिया (Evaluation and Approval Process)

- नोडल एजेंसी/AKTU द्वारा प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन उपलब्ध अवसंरचना एवं

सुविधाओं, गवर्नेंस एवं प्रबंधन व्यवस्था, इनक्यूबेशन क्षमता, सहायता सेवाओं तथा मेंटर्स एवं इकोसिस्टम भागीदारों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

- प्रत्येक आवेदन का भौतिक निरीक्षण (Physical Verification) सत्यापन समिति द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 में उल्लिखित मानकों के अनुपालन का सत्यापन किया जाएगा तथा विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU), लखनऊ से संबद्ध संस्थानों के लिए कुलपति, AKTU द्वारा भौतिक क्षेत्रवार सत्यापन समिति का गठन किया जाएगा, जो की निम्नवत होगी।
 - समिति में संबंधित क्षेत्रीय जोन में स्थित AKTU राजकीय शासकीय घटक संस्थाओं के प्रोफेसर (अध्यक्ष)
 - AKTU का एक प्रतिनिधि,
 - संबंधित क्षेत्रीय जोन में स्थित एक प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर का प्रतिनिधि शामिल होगा।
- समिति का अध्यक्ष स्थल निरीक्षण का नेतृत्व करेगा तथा भौतिक सत्यापन उपरांत अपनी संस्तुतियां VC AKTU को प्रस्तुत करेगा।
- AKTU से संबद्ध संस्थानों के प्रस्ताव कुलपति, AKTU की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
- AKTU से असंबद्ध संस्थानों के लिए प्रबंध निदेशक, UPLC द्वारा भौतिक सत्यापन समिति का गठन किया जाएगा, जो की निम्नवत होगी।
 - समिति में उस क्षेत्रीय जोन का प्रोफेसर (अध्यक्ष)
 - नोडल एजेंसी/PMU का एक प्रतिनिधि
 - संबंधित क्षेत्रीय जोन में स्थित एक प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर का प्रतिनिधि शामिल होगा।
- समिति का अध्यक्ष स्थल निरीक्षण का नेतृत्व करेगा तथा भौतिक सत्यापन उपरांत अपनी संस्तुतियां नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर पात्र इनक्यूबेटर्स के प्रस्ताव नोडल एजेंसी द्वारा मान्यता हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
- नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात नोडल एजेंसी द्वारा संबंधित इनक्यूबेटर को मान्यता प्रदान करते हुए Letter of Comfort (LoC) जारी किया जाएगा।

2.4 नीति लाभों तक पहुंच (Access to Policy Benefits)

- मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों, एवं अन्य लाभों हेतु स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2.5 निगरानी एवं प्रदर्शन मूल्यांकन (Monitoring & Performance Evaluation)

- मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स का प्रदर्शन समय-समय पर EC द्वारा अनुमोदित KPI आधारित मूल्यांकन ढांचे के माध्यम से किया जाएगा।
- KPI आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचे में इन्क्यूबेटर के प्रदर्शन का आकलन विभिन्न प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया जाएगा।
- वार्षिक परिचालन अनुदान एवं अन्य प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों की निरंतरता निर्धारित KPI के सापेक्ष संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

3. इनक्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन (Incubator incentives)

3.1 पूंजीगत अनुदान (Capital Grant)

राज्य में गुणवत्तापूर्ण इनक्यूबेशन अवसंरचना के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र गैर शासकीय इनक्यूबेटर्स को पूंजीगत अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। यह सहायता मुख्यतः इनक्यूबेटर की भौतिक अवसंरचना, उन्नत उपकरणों एवं स्टार्टअप सहायता सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान की जाएगी।

- नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान केवल प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के आधार पर स्टार्टअप पोर्टल में निर्दिष्ट पात्र मदों **(अनुलग्नक-1)** पर किए गए व्यय हेतु अनुमन्य माना जाएगा।
- इनक्यूबेटर द्वारा की गए पूंजीगत व्यय का अधिकतम 50 प्रतिशत (पात्र व्यय), निम्नलिखित सीमा तक प्रतिपूर्ति के रूप में अनुमन्य होगा:
 - सामान्य क्षेत्रों के लिए अधिकतम रू0 1.25 करोड़।
 - बुंदेलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में स्थित इनक्यूबेटर्स के लिए अधिकतम रू0 1.50 करोड़।
 - इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु किए गए पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। ऐसे पूंजीगत व्यय, जो इन्क्यूबेटर की मान्यता/अनुमोदन तिथि से पूर्व किए गए हों, वे भी पीआईयू (PIU) के निर्देशों एवं अनुमोदन के अनुसार प्रतिपूर्ति हेतु पात्र माने जाएंगे।
 - नीति के अंतर्गत मान्यता तथा वित्तीय सहायता की वार्षिक निरंतरता, नीति प्रावधानों के अनुपालन, निर्धारित प्रदर्शन मानकों तथा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करेगी।
- पात्र इनक्यूबेटर द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु दावा तिमाही आधार पर स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम दावा पात्र धनराशि की अधिकतम 25% सीमा तक किया जा सकेगा।

3.1.1 पात्रता

- इनक्यूबेटर का उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पालिसी के प्रावधानों अंतर्गत स्टार्टअप पोर्टल पर पंजीकृत एवं नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
- जिन परिसंपत्तियों पर प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा हो, उनका उपयोग केवल नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन सेंटर एवं नीति के अंतर्गत रेकग्नाइज्ड स्टार्टअप के सहायता सम्बन्धी गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए।

3.1.2 आवेदन प्रक्रिया

- इनक्यूबेटर द्वारा पात्र पूंजीगत व्यय अपनी ओर से वहन करने के उपरांत स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
- आवेदन के साथ क्रय की गई परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण, उनके फोटोग्राफ, इनवॉइस समेत अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जाएगा।
- आवेदन के साथ एक घोषणा-पत्र संलग्न किया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संबंधित परिसंपत्तियां अनुमोदित इनक्यूबेटर परिसर में स्थापित की गई हैं तथा उनका उपयोग केवल इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप सहायता गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

3.1.3 परीक्षण एवं अनुमोदन प्रक्रिया

- परीक्षण एवं सत्यापन के उपरांत पात्र पाए गए प्रकरण अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। सहायता की स्वीकार्यता एवं अनुमन्य धनराशि के संबंध में नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) का निर्णय अंतिम होगा।

3.1.4 सहायता राशि का संवितरण

- प्रथम किश्त हेतु, पूंजीगत अनुदान के अंतर्गत इनक्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत मांग के सापेक्ष स्वीकृत सहायता राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप भाग अनुमन्य होगा।
- प्रथम किश्त जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के क्रय एवं स्थापना से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर, स्वीकृत सहायता राशि की शेष अनुमन्य धनराशि का अधिकतम 75 प्रतिशत भाग, नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन उपरान्त, प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में देय होगा।
- प्रत्येक आगामी किश्त का निर्गमन पूर्व में जारी सहायता के उपयोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित तथा वैध UDIN युक्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अन्य निर्धारित शर्तों के अनुपालन के आधार पर किया जाएगा।

3.1.5 निगरानी एवं अनुपालन

- इनक्यूबेटर पूंजीगत अनुदान के अंतर्गत क्रय की गई सभी परिसंपत्तियों का अद्यतन अभिलेख संधारित करेगा। किसी भी प्रकार के मिथ्या प्रस्तुतीकरण, परिसंपत्तियों के दुरुपयोग अथवा नीति प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में सहायता निरस्त की जा सकेगी तथा वितरित धनराशि की वसूली की जा सकेगी।

3.2 परिचालन व्यय अनुदान (Operational Expenditure Grant)

इनक्यूबेटर्स हेतु परिचालन व्यय (Operational Expenditure - OPEX) पात्र मदों हेतु अनुमन्य होगा (अनुलग्नक-4)। राज्य में इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने तथा नवस्थापित इनक्यूबेटर्स को उनके प्रारंभिक वर्षों में सहयोग प्रदान करने हेतु पात्र इनक्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु अधिकतम रू0 40 लाख प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता, अधिकतम 05 वर्षों की अवधि अथवा इनक्यूबेटर के आत्मनिर्भर (Self-Sustainable) होने तक, जो भी पहले हो, प्रदान की जाएगी।

3.2.1 पात्रता

- इनक्यूबेटर उत्तर प्रदेश स्थित परिसर से संचालित हो रहा हो तथा स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान कर रहा हो।
- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पालिसी 2026 के परिचालन व्यय से सम्बंधित सभी प्राविधान लागू होंगे।
- नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर अधिकतम 05 वर्षों की अवधि अथवा आत्मनिर्भर (Self-Sustainable) होने तक, जो भी पहले हो, प्रति वर्ष अधिकतम ₹40 लाख तक के परिचालन व्यय अनुदान हेतु पात्र होंगे।
- मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त इनक्यूबेटर प्रथम वर्ष के लिए परिचालन व्यय (OPEX) अनुदान का अग्रिम दावा प्रस्तुत कर सकेगा।
- प्रथम वर्ष हेतु प्रदान की जाने वाली अग्रिम अनुदान राशि का निर्धारण निर्धारित वित्तीय मानकों एवं अनुमोदित बजट के आधार पर किया जाएगा।
- प्रथम वर्ष हेतु विशेष छूट के रूप में, न्यूनतम 02 पंजीकृत स्टार्टअप्स की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
- प्रथम वर्ष हेतु अनुदान का संवितरण मान्यता प्रदान किए जाने की तिथि से आगामी 12 माह की अवधि के लिए किया जा सकेगा।
- तथापि, परिचालन व्यय (OPEX) अनुदान के लिए इनक्यूबेटर द्वारा प्रथम 12 माह की अवधि पूर्ण होने तक न्यूनतम 10 पंजीकृत एवं भौतिक रूप से इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स का पोर्टफोलियो स्थापित करना तथा बनाए रखना अनिवार्य होगा। आगामी वित्तीय वर्षों में OPEX अनुदान की पात्रता हेतु न्यूनतम 2 इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स बनाए रखना आवश्यक होगा। 2 से 9 इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स होने की स्थिति में अनुदान आनुपातिक आधार पर अनुमन्य होगा, जबकि 10 या उससे अधिक इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स होने पर पूर्ण अनुमन्य OPEX अनुदान देय होगा। यदि कोई इनक्यूबेटर निर्धारित अवधि के उपरांत न्यूनतम दस(10) इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स का स्तर प्राप्त करने अथवा बनाए रखने में असफल रहता है, तो उसे संवितरित की गई अनुदान राशि का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष में देय परिचालन व्यय अनुदान से किया जा सकेगा।
- द्वितीय वर्ष एवं उसके पश्चात परिचालन व्यय अनुदान हेतु इनक्यूबेटर में न्यूनतम 02 भौतिक रूप से पंजीकृत एवं इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स होना अनिवार्य होगा।
- जिन इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का आंशिक वितरण किया जा चुका है तथा जिनकी स्थापना/स्वीकृति के पश्चात 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, वे शेष अनुमोदित प्रोत्साहन राशि का दावा (क्लेम) कर सकते हैं, बशर्ते वे योजना के अंतर्गत निर्धारित सभी अन्य पात्रता एवं मानदंडों को पूर्ण करते हों।
- परिचालन अनुदान की आगामी किश्तों का निर्गमन पूर्व किश्त के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) एवं वैध UDIN तथा अन्य आवश्यक अभिलेख सबमिट करने के उपरांत आगामी किश्तों के सदुपयोगिता की रूपरेखा बनाकर आवेदन करना होगा। प्रस्तुत किए जाने तथा नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के अनुमोदन के उपरान्त किया जाएगा।

- अनुदान की गणना हेतु केवल स्टार्टअप पोर्टल पर पंजीकृत एवं इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स को ही माना जाएगा। परिचालन व्यय अनुदान के दावे के साथ इनक्यूबेटर द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इन्क्यूबेटेड नए स्टार्टअप्स का विवरण एवं अद्यतन सूची स्टार्टअप पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष का दावा पृथक रूप से परीक्षण किया जाएगा।

3.2.2 आवेदन प्रक्रिया

- पात्र इनक्यूबेटर स्टार्टअप पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- आवेदन में इनक्यूबेटर का विवरण जैसे की मान्यता की स्थिति, पोर्टल पर पंजीकृत इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स की सूची, वार्षिक परिचालन बजट, परिचालन गतिविधियों एवं व्ययों का विवरण, उपलब्ध अवसंरचना पूर्व वर्ष की उपलब्धियों का विवरण इत्यादि सम्मिलित किया जाएगा।
- प्राप्त आवेदन का परीक्षण नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

3.2.3 मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रिया

- परीक्षण एवं सत्यापन के उपरांत पात्र पाए गए प्रकरण अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। सहायता की स्वीकार्यता एवं अनुमन्य धनराशि के संबंध में नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) का निर्णय अंतिम होगा।
- परिचालन अनुदान की निरंतरता नोडल एजेंसी द्वारा किए जाने वाले आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन पर निर्भर होगी।

3.2.4 सहायता का संवितरण

- परिचालन व्यय का संवितरण उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पालिसी 2026 के प्राविधानों के अंतर्गत नीति कार्यावयन इकाई के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा

3.2.5 निगरानी एवं अनुपालन

- इनक्यूबेटर वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट, इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स की अद्यतन सूची तथा परिचालन व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा।
- नोडल एजेंसी आवश्यकता अनुसार निरीक्षण, ऑडिट अथवा मूल्यांकन कर सकेगी।
- अपात्र व्यय, गलत दावा अथवा मिथ्या प्रस्तुतीकरण पाए जाने पर सहायता रोकी, निरस्त अथवा वसूल की जा सकेगी।

3.2.6 पात्र व्यय

- परिचालन अनुदान का उपयोग स्टार्टअप पोर्टल में निर्दिष्ट पात्र मदों पर किए गए व्ययों के लिए किया जा सकेगा।
- परिचालन व्यय (OPEX) अनुदान की कुल राशि का लगभग 60 प्रतिशत भाग इनक्यूबेशन केन्द्र हेतु नियुक्त समर्पित मानव संसाधन/कार्मिकों के वेतन एवं पारिश्रमिक पर व्यय किया जाएगा। शेष 40 प्रतिशत राशि का उपयोग इनक्यूबेशन केन्द्र के रखरखाव, व्यावसायिक सेवाओं (Professional Services), क्षमता संवर्धन

कार्यक्रमों, मार्गदर्शन (Mentoring), गतिविधियों, नेटवर्किंग, आउटरीच तथा अन्य अनुमन्य परिचालन गतिविधियों पर किया जाएगा। यह अनुदान तभी देय होगा जब इनक्यूबेशन प्रबंधक (Incubation Manager) दावा अवधि के दौरान इनक्यूबेशन केन्द्र में न्यूनतम छह (06) माह तक कार्यरत एवं संबद्ध रहा हो। यदि इनक्यूबेशन प्रबंधक छह माह से कम अवधि तक कार्यरत रहता है, तो संबंधित अवधि हेतु इनक्यूबेटर परिचालन व्यय (OPEX) अनुदान का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी:

- परिचालन व्यय अनुदान का उपयोग केवल एवं केवल इनक्यूबेशन केन्द्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित संसाधनों, गतिविधियों एवं व्ययों के लिए किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु अनुदान राशि का उपयोग अनुमन्य नहीं होगा।
- परिचालन व्यय (OPEX) अनुदान का दावा केवल ऐसे इनक्यूबेटर द्वारा किया जा सकेगा, जिसके परिसर में स्टार्टअप्स भौतिक रूप से इन्क्यूबेटेड (Physically Incubated) हों। केवल वर्चुअल रूप से इन्क्यूबेटेड (Virtually Incubated) स्टार्टअप्स को इस प्रयोजन हेतु पात्र नहीं माना जाएगा तथा उनकी गणना परिचालन व्यय अनुदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए नहीं की जाएगी।

3.3 इनक्यूबेटर्स हेतु एक्सीलेरेशन कार्यक्रम सहायता (Acceleration Programme Grant for Incubators)

प्रारम्भिक विकास एवं विस्तार (Scaling) चरण के स्टार्टअप्स को उन्नत मेंटरशिप, निवेशकों तक पहुंच, बाजार संपर्क एवं व्यवसाय विस्तार सहायता उपलब्ध कराने के लिए पात्र संस्थाओं द्वारा आयोजित एक्सीलेरेशन कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

3.3.1 पात्रता

भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थित अथवा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स, SEBI-पंजीकृत एंजेल निवेशक समूह, बैंक, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान तथा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के साथ सूचीबद्ध ऐसे निजी एक्सीलेरेटर्स, जिन्हें न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो, इस प्रावधान के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

3.3.2. वित्तीय सहायता

पात्र संस्थान द्वारा संचालित **एक्सीलेरेशन कार्यक्रम** हेतु प्रति स्टार्टअप अधिकतम रू0 1,00,000 की दर से तथा प्रति कार्यक्रम अधिकतम ₹10,00,000 तक समतुल्य अनुदान (Matching Grant) अनुमन्य होगा। प्रत्येक संस्थान को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 05 कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में PIU की संस्तुति पर कार्यकारी समिति (EC) द्वारा उक्त सीमा में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

3.3.3. कार्यक्रम की शर्तें

एक्सीलेरेशन कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 12 सप्ताह होगी तथा प्रत्येक कार्यक्रम में न्यूनतम 05 स्टार्टअप्स का एक समूह (Cohort) शामिल होना आवश्यक होगा। कार्यक्रम

में निवेशक तत्परता, व्यवसाय विस्तार, बाजार रणनीति, वित्तीय मॉडलिंग, निवेशक पिच तैयारी, मेंटरशिप सत्र तथा निवेशक संपर्क गतिविधियां सम्मिलित होना आवश्यक होगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स से इक्विटी लेना अनिवार्य नहीं होगा।

3.3.4. आवेदन प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं अनुमोदन

पात्र संस्थान द्वारा एक्सीलेरेशन कार्यक्रम संचालित करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन कार्यक्रम के प्रस्तावित आयोजन से कम-से-कम एक माह पूर्व स्टार्टइनयूपी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन में कार्यक्रम की रूपरेखा, अवधि, प्रस्तावित स्टार्टअप्स की संख्या, मेंटर्स एवं निवेशक नेटवर्क का विवरण, अपेक्षित परिणाम तथा विस्तृत बजट का उल्लेख किया जाएगा।
प्राप्त आवेदनों का परीक्षण नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा कार्यक्रम की गुणवत्ता, प्रस्तावित परिणामों, उपलब्ध मेंटर एवं निवेशक नेटवर्क, संस्थान के पूर्व अनुभव तथा अन्य प्रासंगिक मानकों के आधार पर किया जाएगा। परीक्षण उपरान्त पात्र पाए गए प्रकरणों को अनुमोदनार्थ PIU के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। PIU द्वारा अनुमोदित संस्थानों को कार्यक्रम के संचालन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-Principle Approval) प्रदान की जाएगी।

3.3.5. सहायता का संवितरण

कार्यक्रम के सफल आयोजन, निर्धारित परिणामों की प्राप्ति एवं आवश्यक अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त, नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा अनुमोदन उपरान्त अनुमन्य सहायता राशि पात्र संस्थान के बैंक खाते में संवितरित की जाएगी।

3.3.6. निगरानी एवं अनुपालन

कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत संस्था को कार्यक्रम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रतिभागी स्टार्टअप्स की संख्या, प्राप्त निवेश, राजस्व वृद्धि, रोजगार सृजन एवं अन्य प्रमुख उपलब्धियों का विवरण शामिल होगा। नोडल एजेंसी आवश्यकता अनुसार निरीक्षण, मूल्यांकन एवं सत्यापन कर सकेगी। किसी भी प्रकार की दोहरी वित्तीय सहायता, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा नीति प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में सहायता को रोका, निरस्त अथवा वसूल किया जा सकेगा।

टिपण्णी:

- **द्वि-लाभ निषेध (Anti Double-Dipping):** जिस कार्यक्रम समूह (Cohort) हेतु संस्थान द्वारा इस प्रावधान के अंतर्गत सहायता प्राप्त की गई हो, उसी कार्यक्रम के लिए प्रतिभागी स्टार्टअप्स से ऐसी कोई शुल्क राशि नहीं ली जाएगी, जिसके लिए सरकारी प्रतिपूर्ति अथवा सहायता का दावा किया गया हो। इस संबंध में संस्थान को स्टार्टइनयूपी पोर्टल पर स्वप्रमाणन प्रस्तुत करना होगा।
- **वार्षिक परिणाम प्रतिवेदन:** सहायता प्राप्त प्रत्येक संस्थान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिवस के भीतर कार्यक्रमों के परिणामों का वार्षिक प्रतिवेदन PIU को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्यक्रम पूर्ण करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या, निवेश प्राप्ति, राजस्व वृद्धि तथा रोजगार सृजन से संबंधित विवरण सम्मिलित होगा।

- **सूचीबद्धता का नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण:** एक्सीलेरेशन कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों की सूचीबद्धता का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाएगा। लगातार दो वर्षों तक परिणाम प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने अथवा लगातार दो वर्षों तक कार्यक्रमों की निवेश रूपांतरण दर 10 प्रतिशत से कम रहने की स्थिति में PIU द्वारा संस्थान की सूचीबद्धता निरस्त की जा सकेगी।

3.4 नवरत्न इनक्यूबेटर प्रोत्साहन (Navratna Incubator Incentive)

राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को "नवरत्न इनक्यूबेटर" के रूप में नामित कर उनकी संस्थागत क्षमता, स्टार्टअप सहायता सेवाओं, मेंटरशिप नेटवर्क एवं इनक्यूबेशन इकोसिस्टम में योगदान को सुदृढ़ बनाने के लिए यह प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3.4.1 पात्रता एवं चयन

- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर, जो नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा समय-समय पर निर्धारित नवरत्न इनक्यूबेटर चयन मानदण्डों को पूर्ण करता हो, नवरत्न इनक्यूबेटर के रूप में चयनित होने एवं इस प्रावधान के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
- चयनित प्रत्येक नवरत्न इनक्यूबेटर को उसकी इनक्यूबेशन क्षमताओं के विकास, संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं स्टार्टअप सहायता गतिविधियों के विस्तार हेतु ₹30 लाख प्रति वर्ष का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3.4.2. आवेदन एवं अनुमोदन प्रक्रिया-

- नवरत्न इनक्यूबेटर का मूल्यांकन सशक्त समिति (EC) द्वारा निर्धारित प्रदर्शन मानकों एवं KPI के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाएगा तथा पात्र प्रकरणों को अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के माध्यम से सशक्त समिति (EC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3.4.3. सहायता का संवितरण

- नवरत्न इनक्यूबेटर के प्रोत्साहन का संवितरण उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पालिसी के प्राविधानों के अंतर्गत **सशक्त समिति (EC)** के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा

3.4.4 निगरानी एवं अनुपालन

- नवरत्न इनक्यूबेटर को वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन, उपलब्धियों एवं सहायता राशि के उपयोग का विवरण नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करना होगा। नोडल एजेंसी आवश्यकता अनुसार निरीक्षण, मूल्यांकन अथवा सत्यापन कर सकेगी। मिथ्या प्रस्तुतीकरण, गलत सूचना अथवा नीति प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में नवरत्न दर्जा एवं प्रोत्साहन निरस्त किया जा सकेगा तथा वितरित धनराशि की वसूली की जा सकेगी।

3.5 स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त फंडिंग पर पुरस्कार (Funding Linked Incentive)

इनक्यूबेटर्स को अपने इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स के लिए निवेश एवं वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह सहायता प्रदान की जाएगी।

3.5.1 पात्रता

- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर इस प्रावधान के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। प्रोत्साहन केवल उन नीति के अंतर्गत रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई पात्र निवेश राशि पर अनुमन्य होगा, जो निवेश प्राप्ति की तिथि पर संबंधित इनक्यूबेटर में इन्क्यूबेटेड (Incubated) हों। इस प्रयोजनार्थ पात्र निवेश राशि में SEBI रजिस्टर्ड एंजेल निवेश/ वेंचर कैपिटल (VC) निवेश/ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड (Alternative Investment Fund-AIF) विदेशी निवेशकों (Foreign Investors) से प्राप्त इक्विटी से प्राप्त निवेश सम्मिलित होंगे। तथापि, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के अंतर्गत पंजीकृत AIFs अथवा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड से प्राप्त निवेश/धनराशि को इस प्रोत्साहन की गणना हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

3.5.2 वित्तीय सहायता

- पात्र इनक्यूबेटर को उसके नीति के अंतर्गत रजिस्टर्ड इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा किसी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक वार्षिक त्रैमास में जुटाई गई कुल पात्र धनराशि का 2 प्रतिशत, अधिकतम ₹50 लाख तक वार्षिक, प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को इस गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.5.3 आवेदन प्रक्रिया

- इनक्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन में निवेश प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स का विवरण, निवेश राशि, निवेश स्रोत तथा अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न किए जाएंगे।

3.5.4 मूल्यांकन एवं अनुमोदन

- प्राप्त आवेदनों का परीक्षण नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। निवेश की सत्यता, निवेश स्रोत तथा पात्रता की पुष्टि के उपरांत पात्र प्रकरण अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

3.5.5 सहायता का संवितरण

- स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त फंडिंग पर पुरस्कार के आवेदन का संवितरण उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पालिसी 2026 के प्राविधानों के अंतर्गत नीति कार्यावयन इकाई के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

3.5.6 निगरानी एवं अनुपालन-

- नोडल एजेंसी निवेश संबंधी अभिलेखों का सत्यापन कर सकेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज मांग सकेगी। मिथ्या सूचना अथवा अपात्र दावे की स्थिति में सहायता निरस्त की जा सकेगी तथा वितरित धनराशि की वसूली की जा सकेगी।

3.6 वार्षिक इनक्यूबेटर रैंकिंग (Annual Incubator Ranking)

राज्य के मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, प्रतिस्पर्धात्मक सुधार को बढ़ावा देना तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इनक्यूबेटर्स की पहचान करना इस प्रोत्साहन का उद्देश्य होगा।

3.6.1 मूल्यांकन ढांचा

- इनक्यूबेटर्स का मूल्यांकन नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) की संस्तुति पर सशक्त समिति (EC) द्वारा अनुमोदित KPI आधारित मूल्यांकन ढांचे के अनुसार किया जाएगा। मूल्यांकन में इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स की संख्या, स्टार्टअप सर्वाइवल एवं ग्रेजुएशन दर, सुगम कराई गई फंडिंग, पेटेंट एवं बौद्धिक संपदा सृजन, रोजगार सृजन, मेंटरशिप गतिविधियां, अवसंरचना उपयोग तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम में समग्र योगदान जैसे मानकों को सम्मिलित किया जा सकेगा।

3.6.2 मूल्यांकन प्रक्रिया

- इनक्यूबेटर रैंकिंग का निर्धारण सशक्त समिति द्वारा निर्धारित KPI के आधार पर किया जायेगा आवश्यकतानुसार रैंकिंग निर्धारण हेतु किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी को भी नामित किया जा सकता है।

3.6.3 परिणामों का उपयोग

- वार्षिक रैंकिंग के परिणामों का उपयोग इनक्यूबेटर्स के प्रदर्शन मूल्यांकन, नवरत्न इनक्यूबेटर चयन, परिचालन सहायता की निरंतरता तथा अन्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों के निर्धारण में किया जा सकेगा।

4. टिप्पणी:

i. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के प्रावधानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन एवं संचालन प्रारम्भ होने तक "नोडल संस्था" से अभिप्राय उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPLC) होगा।

ii. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियमित नियुक्ति होने तक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPLC) के प्रबंध निदेशक (MD, UPLC) इस नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी/अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

iii. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल के क्रियाशील होने तक, स्टार्टअप पोर्टल से अभिप्राय StartinUP पोर्टल होगा।

iv. इस परिचालन दिशानिर्देश की किसी भी व्याख्या से संबंधित स्पष्टीकरण, शंका अथवा विवाद की स्थिति में निर्णय लेने एवं आवश्यक स्पष्टता प्रदान करने का अधिकार नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के पास निहित होगा।

संलग्नकः यथोक्त।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 22-08-2026 11:04:47

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5 प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
9 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(समीर)
विशेष सचिव।

अनुलग्नक -1

पूंजीगत व्यय की मदें

नीति के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उपकरणों हेतु पूंजीगत अनुदान की मांग के परीक्षण के लिए निम्नलिखित मदों का संकेतात्मक रूप से उल्लेख किया गया है। यह सूची केवल उदाहरणात्मक है तथा किसी भी मद की स्वीकृति इन्क्यूबेटर की आवश्यकता एवं गवर्निंग काउंसिल की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की जाएगी।

क्र. सं.	व्यय की मद	विवरण
1	डेस्कटॉप पर्सनल कम्प्यूटर	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
2	लैपटाप	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
3	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
4	ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
5	सॉफ्टवेयर	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
6	प्रोजेक्टर	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
7	प्रिंटर-सह-स्कैनर	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
8	3D प्रिंटर	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
9	यूपीएस	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
10	3D स्कैनर	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
11	रैक	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
12	सर्वर	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
13	नेटवर्किंग केबल्स	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
14	राउटर	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
15	स्विच	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
16	डेटा स्टोरेज उपकरण	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
17	जीपीयू सर्वर	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
18	लेजर मार्किंग मशीन	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
19	सीएनसी मशीन	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
20	सीओर्डिनेट मेजरिंग मशीन (CMM)	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
21	इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
22	कम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
23	एब्रेसिव (Abrasive) कटिंग मशीन	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
24	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार

25	इनक्यूबेटर की स्थापना हेतु सिविल कार्य के सापेक्ष किये गए व्यय	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
26	इन्क्यूबेटर द्वारा समर्थित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य उपकरण	इन्क्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार

अनुलग्नक- 2

इन्क्यूबेटर की मान्यता हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र.स.	अपेक्षित दस्तावेज का विवरण
1	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कंपनी के निगमित होने का प्रमाण-पत्र (Certificate of Incorporation)।
2	बैंक खाते का विवरण, रद्द (Cancelled) चेक एवं पिछले 6 माह के बैंक स्टेटमेंट सहित।
3	नीति में निर्धारित अवसंरचना आवश्यकताओं के अनुपालन में स्थापित इन्क्यूबेशन क्षेत्र का फ्लोर लेआउट/फ्लोर प्लान।
4	इन्क्यूबेशन केंद्र की समर्पित (Dedicated) वेबसाइट का विवरण।
5	गवर्निंग काउंसिल के गठन संबंधी संकल्प (Resolution) की प्रति।
6	इन्क्यूबेटर की संचालन (Operational) नीति, जिसमें स्टार्टअप्स के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया एवं उन पर लागू शुल्क का विवरण सम्मिलित हो।
7	मेंटर्स की सूची, उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रोफाइल तथा मानदेय संरचना का विवरण।
8	इन्क्यूबेशन नीति, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, संभावित सहयोगी संस्थानों, सलाहकार मंडल तथा इन्क्यूबेटर की वित्तीय स्थिरता हेतु रोडमैप को दर्शाने वाली प्रस्तुति (Presentation Deck)।
9	इन्क्यूबेशन प्रबंधक एवं अन्य प्रमुख कर्मियों के आत्म-परिचय (CV/Profile) सहित नियुक्ति पत्रों की प्रतियां।
10	इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स की सूची, उनके कंपनी निगमण प्रमाण-पत्र, DPIIT मान्यता प्रमाण-पत्र, StartinUP मान्यता प्रमाण-पत्र तथा इन्क्यूबेशन समझौता/पत्र सहित।
11	वित्तीय संस्थानों, अन्य इन्क्यूबेटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग संघों, सलाहकारों, सीए, अधिवक्ताओं अथवा अन्य हितधारकों के साथ निष्पादित एमओयू/समझौतों की प्रतियां (जहां लागू हो)।

अनुलग्नक- 3

Utilization Certificate on Letterhead of the Incubator

(Duration From_____To_____)

1	**Name of Host Institute**				
2	**Name of Incubator**				
3	**Name of the Authorized signatory authorized by the Board**				
4	**Ketter of Comfort (LoC) Please mention the LoC Number and Date**	**Expense Head**	**Approved Amount**		
		Capital Expenditure			
		Operational Expenditure			
5	**Bank Details**	**Account Number**			
		Name of Beneficiary			
		Name of Bank			
		Address of Branch			
		IFSC Number			
6	**Amount received from Nodal Agency during this duration**	**Year**	**Capital Expenditure**	**Operational Expenditure**	**Total**
		Year 1			
7	**Total Amount Available for expense during this period (excluding interest)**	**Year**	**Capital Expenditure**	**Operational Expenditure**	**Total**
		Year 1			
8	**Expenditure incurred during the period (excluding commitments/liabilities) (Details of expenditure enclosed)**	**Year**	**Capital Expenditure**	**Operational Expenditure**	**Total**
		Year 1			
9	**Copilot said:**	**Year**	**Capital**	**Operational**	**Total**

	Unspent balance, if any (excluding interest), should be reconciled with the concerned authorities		Expenditure	Expenditure	
		Year 1			
10	Demand for Next Financial Year	Year	Capital Expenditure	Operational Expenditure	Total
		Year 1			

I, the undersigned, hereby certify that an amount of ₹ _____ has been utilized for the project solely for the purpose for which it was sanctioned. It is further certified that the conditions subject to which the grant was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled, and that necessary verification has been carried out to ensure that the funds have, in fact, been utilized for the intended purpose for which they were sanctioned.

Date:
Place:

Head of Incubator
Accountant
(Sign and Stamp)
UDIN)

Signature of the Chattered

(Sign and Stamp with

इनक्यूबेटर्स हेतु परिचालन व्यय (Oper

नीति के अंतर्गत परिचालन व्यय (OPE ...। व्यय मदों को पात्र माना जा सकेगा। यह सूची संकेतात्मक (Ind है। इनक्यूबेशन गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अन्य व्यय भी वीकृति के अधीन, पात्र माने जा सकेंगे।

क्र. सं.	व्यय मद	विवरण	
1	कर्मचारियों का वेतन एवं पारिश्रमिक	इनक्यूबेशन प्रबंधकीय/प्र	र प्रबंधक तथा सहयोगी मिक पर व्यय।
2	विधिक एवं लेखा-परीक्षण शुल्क	विधिक, लेर वित्तीय विवर	कंपनी सचिवीय सेवाओं तथा क शुल्क।
3	व्यावसायिक एवं परामर्श सेवाएं	स्टार्टअप सहा वित्तीय सलाहव प्रदाताओं की पं	हकारों, विधिक सलाहकारों, ारों तथा अन्य पेशेवर सेवा
4	मेंटरशिप शुल्क	मेंटरिंग एवं क्ष सलाहकारों को	विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों एवं
5	विद्युत एवं उपयोगिता शुल्क	इनक्यूबेटर के स पर व्यय।	ा अन्य उपयोगिता सेवाओं
6	ब्रॉडबैंड एवं इंटरनेट शुल्क	इंटरनेट कनेक्टि गया व्यय।	चार अवसंरचना पर किया
7	मरम्मत एवं अनुरक्षण	पात्र पूंजीगत व्यय इनक्यूबेशन अवसं (AMC) पर व्यय।	री, आईटी प्रणालियों एवं वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध
8	कार्यालय सामग्री एवं उपभोज्य वस्तुएं	कार्यालय स्टेशनरी इनक्यूबेटर संचाल	ज्य सामग्री, पैंट्री सामग्री तथा य वस्तुओं पर व्यय।
9	ब्रांडिंग, आउटरीच एवं विपणन गतिविधियाँ	वेबसाइट प्रबंधन, जागरूकता कार्यक्र	रात्मक अभियान, ब्रांडिंग सामग्री, तिविधियों पर व्यय।
10	कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं नेटवर्किंग	स्टार्टअप्स एवं इक कार्यक्रम, स्टार्टअप कार्यक्रम, कार्यशाल	टकैंप, हैकाथॉन, उद्यमिता जागरूकता , डेमो डे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेटवर्किंग जित करने पर किया गया व्यय।

	गतिविधियां	
11	सॉफ्टवेयर लाइसेंस एवं SaaS सदस्यताएँ	इनक्यूबेशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ERP, CRM, क्लाउड प्लेटफॉर्म, उत्पादकता उपकरण, साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर तथा सहयोगी उपकरणों की सदस्यता शुल्क।
12	बौद्धिक संपदा सुविधा एवं प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण सहायता	बौद्धिक संपदा जागरूकता कार्यक्रमों, पेटेंट सुविधा सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यावसायीकरण गतिविधियों से संबंधित व्यय।
13	स्टार्टअप क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल विकास कार्यक्रमों, स्टार्टअप प्रशिक्षण सत्रों, प्रमाणन कार्यक्रमों एवं उद्यमिता विकास पहलों पर व्यय।
14	यात्रा एवं स्थानीय परिवहन व्यय	इनक्यूबेशन, मेंटरिंग, निवेशक संपर्क, उद्योग सहभागिता एवं इकोसिस्टम विकास गतिविधियों हेतु किए गए आधिकारिक यात्रा एवं स्थानीय परिवहन व्यय।
15	इनक्यूबेशन स्टाफ का क्षमता निर्माण	इनक्यूबेशन स्टाफ के क्षमता निर्माण हेतु किए गए व्यय।
16	सदस्यता एवं संबद्धता शुल्क	मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन, नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप, उद्योग अथवा व्यावसायिक नेटवर्क एवं संघों की सदस्यता हेतु देय शुल्क।
17	डेटा एवं ज्ञान संसाधन	अनुसंधान डेटाबेस, मार्किट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स, जर्नल, मानकों एवं तकनीकी ज्ञान संसाधनों की सदस्यता शुल्क।
18	कोवर्किंग एवं सुविधा प्रबंधन व्यय	हाउसकीपिंग, सुरक्षा सेवाओं, सुविधा प्रबंधन, स्वच्छता तथा इनक्यूबेशन परिसर के रखरखाव से संबंधित व्यय।
19	इनक्यूबेशन से संबंधित अन्य परिचालन व्यय	संचालन, प्रबंधन, मेंटरिंग, स्टार्टअप सहायता, नवाचार, इकोसिस्टम विकास अथवा इनक्यूबेशन सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कोई अन्य व्यय, जिसे नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।